

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या
170/18

रजू दिनांक
07.06.2018

निर्णय दिनांक
28.06.2018

अनुवान

1. देवकरण पुत्र श्री थावरिया जाति चमार निवासी हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।


वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र भैरू
2. लक्ष्मी
3. बिमला
4. कमला
5. वीरमती
6. सुमन पुत्रीयान भैरू जातियान अहीर निवासीयान हाडाडेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. तहसीलदार मुण्डावर अलवर राज0।

असल प्रतिवादीगण

8. नरेन्द्र
9. संदीप पुत्रान चांदराम
10. मीना कुमारी
11. पिंकी पुत्रीयान चांदराम
12. कौशल्या पत्नी चांदराम
13. भरतसिंह
14. जसवंत
15. राजेन्द्र पुत्रान सुलतान
16. मेवा देवी पुत्री सुलतान
17. श्याम सिंह
18. भूप सिंह पुत्रान मूलचंद


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

19. कमला पत्नी मूलचंद
20. तेजवीर पुत्र पूरण पौत्र थावरिया
21. शंकर पुत्र थावरिया जातियान चमार निवासीयान हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण
दावा इशतकरारहक दुरस्ती इन्द्राज मय हु0ई0दवामी


पर्चा डिक्री

दिनांक :- 28.06.2018

वकील वादी श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

हाल आराजी ख0न0 65 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम हाडाहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत हाल रिकार्ड में हो रहे प्रतिवादीगण असल के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी ख0न0 65 के बाबत वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 व 21 को संभाग में खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक मुण्डावर (अलवर)